पंजीकृत पावती

फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165 Email-ro.ajmer@ibm.gov.in

दिनांक: 05.09.2022

उल्लंघन पत्र माखुपूरा औद्वोगिक क्षेत्र, Makhupura Industrial Area अजमेर.-305 002 (राजस्थान) Aimer- 305 002 (Rajasthan)



Government of India खान मंत्रालय **Ministry of Mines** भारतीय खान ब्यूरो **Indian Bureau of Mines** 

भारत सरकार

Mine Code: 34RAJ27002

संख्या: RAJ/UDP/LEAD ZINC-02/Vol-II

प्रेषित: एजेंट,

सिन्देसर खुर्द लेड जिंक माइन, मैसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, पोस्ट-दरीबा,तहसील-रेलमगरा, जिला-राजसमन्द (राजस्थान)

Email- Vinod.Jangir@vedanta.co.in, anshul.khandelwal@vedanta.co.in

Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Sindesar

Khurd Lead Zinc Mine (Lease area 199.8425Hect.) in Rajsamand District of Rajasthan State.

महोदय.

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 16.07.2022 & 17.07.2022 by the undersigned in presence of Sh.

Rule No.	Nature of violation observed in detail				
11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Modifie				
	Mining Plan (Approved on 09.07.2020) for the year 2021-22: -				
	(i)				
	Year	Proposed Exploration Drilling(U/G)		Actual Drilling (U/G)	
		No. of Bore	Meterage	No. of Bore Holes	Meterage
		Holes			
	2021-22	800	85000	447	75894
	It shows that shortfall in underground exploration drilling.				
	(ii)				
	Year	Proposed UG Development(m)		Actual UG Development(m)	
	2021-22	33418		24115	
	It shows that shortfall in UG mine development.				
	(iii) During the year 2021-22, plantation was proposed over an area 4 hect. whereas actual plantation				
	carried out over an area 3 hect.				

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

आपकी खदान की सारी संकियाएं बंद की जा सकती है।

आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।

खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

ob 7. 4.

(डी. आर. गूर्जर वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा) ।

- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
  3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, राजसमन्द।
  4 रक्षित पत्रावली।

भारतीय खान ब्यूरो